



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277137
CG-DL-E-14102026-277137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 809]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 880(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 115 में, उप-नियम (22) के पश्चात्, एक नया उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

23(i)क श्रेणी एम1 वाहनों के लिए भारत स्टेज VII (बीएस-VII) के लिए उत्सर्जन मानक

तालिका 1: 1 अप्रैल 2029 को या उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों के सभी मॉडलों के लिए भारत स्टेज VII (बीएस- VII) उत्सर्जन मानक

श्रेणी	वर्ग	क्रियाशील स्थिति में द्रव्यमान (एमआरओ) (किलोग्राम)	कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान (सीओ)		हाइड्रोकार्बन का कुल द्रव्यमान (टीएचसी)		गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन का द्रव्यमान (एनएमएचसी)		नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्रव्यमान (एनओएक्स)		कुल हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का संयुक्त द्रव्यमान (टीएचसी + एनओएक्स)		कण प्रदूषण का द्रव्यमान (पीएम)		कणों की संख्या (पीएन10)	
			एल1 (एमजी/किमी)		एल2 (एमजी/किमी)		एल3 (एमजी/किमी)		एल4 (एमजी/किमी)		एल2 + एल4 (एमजी/किमी)		एल5 (एमजी/किमी)		एल6 (##/किमी)	
			पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)एम1	-		1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹

पीआई = घनात्मक प्रज्वलन, सीआई = संपीडन प्रज्वलन

श्रेणी एन1 के प्रकार के वाहन से उत्पन्न होने वाले 3.5 से 5.0 टन अधिकतम द्रव्यमान वाले श्रेणी एन2 के वाहनों के लिए, यदि एन2 वाहन श्रेणी एन1 के प्रकार के वाहन के लिए उत्सर्जन अपेक्षाओं को पूरा करता है तो अनुमोदन प्राधिकारी उत्सर्जन प्रकार-अनुमोदन को मंजूर कर सकते हैं। ऐसी एन2 वाहनों को इस नियम के तहत सीओपी/आईएससी/आईयूपीआर अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

तालिका 2: परीक्षण प्रयोज्यता तिथियां

लागूता तिथि	टीए, सीओपी और आईएससी के दौरान परीक्षण अपेक्षाओं का अनुप्रयोग				ब्रेक जनित कण उत्सर्जन सीमा	बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य क्षमता अपेक्षाएं (एमपीआर)	टायर जनित उत्सर्जन सीमा
	सड़क परीक्षण में गैसीय प्रदूषक और पीएन	गैसीय प्रदूषक, पीएम, पीएन और सीओ2 उत्सर्जन, ईंधन की खपत (डब्ल्यूएलटीपी)	ओबीडी + ओबीएम + ओबीएफसीएम	ईवीपी			
1 अप्रैल 2029 (चरण-I)	✓	✓	✓ ओबीडी+ ओबीएम-I (केवल ओबीडी पोर्ट पर) +ओबीएफसीएम-I (केवल ओबीडी पोर्ट पर)	✓	--	✓	--
1 अप्रैल 2031 (चरण-II)	✓	✓	✓ ओबीएम-II (ओवर द एयर) +ओबीएफसीएम-II (ओवर द एयर)	✓	✓ पीएम और पीएन सीमा पावर ट्रेन पर आधारित हैं	✓	✓

1 अप्रैल 2035 (चरण-III)	✓	✓	✓	✓	✓ पीएम और पीएन सभी पावर ट्रेन के लिए एकल सीमा निर्धारित करते हैं	✓	✓
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

टीए-प्रकार (टाईप) अनुमोदन; सीओपी-उत्पादन की अनुरूपता; आईएससी-इन-सर्विस अनुरूपता; ओबीडी-ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स; ओबीएम-ऑन-बोर्ड निगरानी; ओबीएफसीएम-ऑन-बोर्ड ईंधन खपत निगरानी; ईवीपी-पर्यावरण वाहन पासपोर्ट; डब्ल्यूएलटीपी-वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज़्ड लाइट ड्यूटी टेस्ट प्रोसीजर

तालिका 3क: बीएस- VII के श्रेणी एम1 के वाहनों के लिए टाईप-अनुमोदन और टाईप-अनुमोदन के विस्तार के लिए परीक्षण अपेक्षाओं और घोषणाओं का अनुप्रयोग

परीक्षण अपेक्षाएँ	उत्सर्जन टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण और अपेक्षाएँ	उत्पादन की अनुरूपता पर परीक्षण	इन-सर्विस अनुरूपता पर परीक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) सड़क परीक्षण (आरडीई) में गैसीय प्रदूषक और पीएन	सभी ईंधनों के लिए आवश्यक कार्य क्षमता परीक्षण जिनके लिए टाईप-अनुमोदन दिया जाना है और सभी ईंधनों, सभी पेलोड और सभी लागू वाहन श्रेणियों के लिए अनुपालन की घोषणा	आवश्यक नहीं	आवश्यक
(2) गैसीय प्रदूषक, पीएम, पीएन, सीओ ₂ उत्सर्जन, ईंधन की खपत (ओबीएफसीएम), विद्युत ऊर्जा की खपत और इलेक्ट्रिक रेंज (बैटरी स्थायित्व) (डब्ल्यूएलटीपी)	सभी ईंधनों के लिए आवश्यक परीक्षण जिनके लिए टाईप -अनुमोदन दिया जाना है	निकास उत्सर्जन और ओबीएफसीएम के लिए आवश्यक	बैटरी स्थायित्व के लिए निकास उत्सर्जन और ओबीएफसीएम और एसओएच मॉनिटर के लिए आवश्यक
(3) क्रैंकेस उत्सर्जन	घोषणा कि एक बंद क्रैंकेस प्रणाली या रूटिंग टेलपाइप में स्थापित किया गया है*	वैकल्पिक*	आवश्यक नहीं
(4) वाष्पीकरण उत्सर्जन परीक्षण	आवश्यक	आवश्यक (लीक, पर्ज, वेंट)	आवश्यक
(5) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(6) उपभोज्य अभिकर्मक और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके प्रणालियों का संचालन	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(7) बैटरी का स्थायित्व	घोषणा	आवश्यक नहीं	आवश्यक
(8) ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स	कार्य क्षमता	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(9) ऑन-बोर्ड निगरानी	घोषणा और कार्य क्षमता	आवश्यक नहीं	आवश्यक
(10) शक्ति निर्धारण	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(11) एंटी टैम्परिंग, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा	घोषणा और दस्तावेज़	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(12) जियोफेंसिंग प्रौद्योगिकियां (जहां लागू हो)	घोषणा और कार्य क्षमता	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

*परीक्षण एजेंसी को परीक्षण करने की अपेक्षा हो सकती है।

घोषणा, प्रलेखन और कार्य क्षमता अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-215 में दिया जाएगा

तालिका 3ख: टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता - बीएस VII

		हाइब्रिड सहित घनात्मक इग्निशन इंजन वाले वाहन										संमिश्रण प्रज्वलन इंजन वाले वाहन जिनमें हाइब्रिड शामिल हैं			पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन	
		मोनो ईंधन						बाय-फ्यूल ¹			फ्लेक्स-फ्यूल ¹	मोनो ईंधन		दोहरी ईंधन	फ्लेक्स फ्यूल		
	संदर्भ ईंधन	गैसोलीन (ई20)/एम15]]	इथेनॉल ई100/मेथनॉल एम100	एलपीजी	सीएनजी/बायोमीथेन/बायोगैस/एलएनजी	हाइड्रोजन (आईसीई)	एचसीएनजी (हाइड्रोजन + सीएनजी)	गैसोलीन (ई20)/(ई100)	गैसोलीन (ई20)/(ई100)	गैसोलीन (ई20)/(ई100)	इथेनॉल (ई85/ई100) अथवा मेथनॉल (एम15 से एम85/एम100)	डीजल [(बी7)/(बी100)]	गैसोलीन [(ई20)/(ई100)]	डीजल + सीएनजी	बायोडीजल (बी7) से (बी100) से अधिक	—	हाइड्रोजन (ईंधन सेल)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	गैसीय प्रदूषक (टाइप 1 परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हाँ	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ ² (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	—	—
(2)	कण द्रव्यमान और कण संख्या (टाइप 1 परीक्षण)	हां	हां	—	—	—	—	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	—	—
(3)	निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	—	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (दोनों ईंधन)	—	हां	—	—	—	—
(4)	क्रैककेस उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	—	हां	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (ई20 केवल या एम15 केवल)	—	हां	—	—	—	—

	ण)															
(5)	वाष्पीकरण उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	हां	हां	—	—	—	—	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल ई 20 या केवल एम15)	—	हां	—	—	—
(6)	स्थायित्व (टाइप V परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (केवल ई 20 या केवल एम15)	हां	हां	हां	हाँ (केवल बी7)	—
(7)	इन-सर्विस अनुरूपता	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (केवल गैसोलीन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	—
(8)	ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स और आईयूपी आरएम	हां	हां	हां	हां	हाँ ²	हां	हां	हां	हाँ ²	हां	हां	हां	हां	—	—
(9)	सीओ ₂ उत्सर्जन, ईंधन की खपत, विद्युत ऊर्जा की खपत और विद्युत रेंज	हां	हां	हां	हां	हाँ ³	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ ³ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ ⁴
(10)	धुएं की अपारदर्शिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	हां	—	हां	—	—
(11)	इंजन पावर	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हां
(12)	आरडीई गैसीय उत्सर्जन परीक्षण प्रयोज्यता	हां	हां	हां	हां	हाँ ²	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ईंधन)	—

(1 3)	आरडीई पीएन उ त्सर्जन प रीक्षण प्र योज्यता	हां	हां	—	—	—	—	हाँ (केवल ल गै सोली न)	हाँ (केवल ल गै सोली न)	हाँ (केवल ल गै सोली न)	हाँ (दोनों ई धन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ई धन)	—	—
(1 4)	ओबीएम	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां		
(1 5)	ओबीएफ सीएम	हां	हां	—	—	—	—	—	—	—	हाँ (दोनों ई धन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ई धन)	हां	—
(1 6)	ईंधन की खपत या एसी के साथ इले क्ट्रिक रें ज ⁵	हां	हां	हां	हां	हाँ ³	हां	हाँ (दो नों ई धन)	हाँ (दोनों ईंधन)	हाँ ³ (दो नों ई धन)	हाँ (दोनों ई धन)	हां	हां	हां	हाँ (दोनों ई धन)	हां	हां
(1 7)	वाहन बै टरी स्था यित्व (एआईए स 225 के अनुसार र)	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हाँ ⁶	हां	—
(1 8)	सिस्टम पावर नि र्धारण	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	हाँ ⁷	—

1) जब द्वि-ईंधन वाहन में फ्लेक्स ईंधन विकल्प होता है, तो दोनों परीक्षण अपेक्षाएं लागू होती हैं। ई100 के साथ परीक्षण किए गए वाहन को ई85 के लिए परीक्षण करने की अपेक्षा नहीं है।

2) केवल नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जन का निर्धारण तब किया जाएगा जब वाहन हाइड्रोजन पर चल रहा हो।

3) केवल ईंधन की खपत तभी निर्धारित की जाएगी जब वाहन हाइड्रोजन पर चल रहा हो।

4) सीओ₂ उत्सर्जन को मापने की अपेक्षा नहीं है।

5) एआईएस 213 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाना है

6) केवल ओवीसी-एचईवी के लिए लागू।

7) एआईएस 226 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कई मोटरों वाले एचईवी और पीईवी के लिए लागू

तालिका 4: 1 अप्रैल 2029 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों के सभी मॉडलों के लिए बीएस VII वाष्पीकरण

उत्सर्जन सीमा
वाष्पीकरण उत्सर्जन का द्रव्यमान (ग्राम/परीक्षण)
1.5

तालिका 5क: 1 अप्रैल 2029 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों के सभी मॉडलों के लिए बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य क्षमता अपेक्षाएं (एमपीआर)

	बैटरी ऊर्जा आधारित एमपीआर	प्रारंभ से 5 वर्ष या 100,000 किमी जो भी पहले हो	5 वर्ष या 100,000 किमी से अधिक के वाहन, और 8 वर्ष या 160,000 किमी में से जो भी पहले हो	अतिरिक्त जीवनकाल (**) तक के वाहन
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	ओवीसी-एचईवी	75 %	67 %	*
(2)	पीईवी	75 %	67 %	*

(*) बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य क्षमता अपेक्षाएं (एमपीआर) अलग से अधिसूचित की जाएंगी

(**) तालिका 12ख के अनुसार

तालिका 5ख: 1 अप्रैल 2029 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों के सभी मॉडलों के लिए बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य क्षमता अपेक्षाएं (एमपीआर)

	सीमा आधारित एमपीआर	प्रारंभ से 5 वर्ष या 100,000 किमी जो भी पहले हो	5 वर्ष या 100,000 किमी से अधिक के वाहन, और 8 वर्ष या 160,000 किमी में से जो भी पहले हो	अतिरिक्त जीवनकाल (**) के वाहन
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	ओवीसी-एचईवी	*	*	*
(2)	पीईवी	*	*	*

(*) बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य क्षमता अपेक्षाएं (एमपीआर) अलग से अधिसूचित की जाएंगी

(**) तालिका 12ख के अनुसार

तालिका 6: 1 अप्रैल 2031 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों के लिए पावरट्रेन प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रेक जनित कण उत्सर्जन सीमा

प्रति वाहन उत्सर्जन सीमा मिग्रा/किमी में	श्रेणी एम1 के वाहन				
पावरट्रेन तकनीक	पीईवी	ओवीसी-एचईवी	एनओवीसी-एचईवी	एफसीवी/एफसीएचवी	आईसीईवी
ब्रेक जनित कण उत्सर्जन (पीएम10)	3	7	7	7	7

—
—
—

पीईवी-प्योर इलेक्ट्रिक वाहन; ओवीसी-एचईवी-ऑफ-वाहन चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन; एनओवीसी-एचईवी-नॉट ऑफ-वाहन चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन; एफसीवी-फ्यूल सेल वाहन; एफसीएचवी-फ्यूल सेल हाइब्रिड वाहन; आईसीईवी-आंतरिक दहन इंजन वाहन

तालिका 7: ब्रेक सिस्टम के टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता

परीक्षण अपेक्षाएँ	उत्सर्जन टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण और अपेक्षाएं	उत्पादन की अनुरूपता पर परीक्षण	इन-सर्विस अनुरूपता पर परीक्षण
डब्ल्यूएलटीपी ब्रेक चक्र में ब्रेक सिस्टम उत्सर्जन परीक्षण	अपेक्षित	ऑडिट या वैकल्पिक परीक्षण	अपेक्षित नहीं

तालिका 8: 1 अप्रैल 2031 को या उसके बाद निर्मित वाहन श्रेणी एम1 के लिए सी1 टायर के लिए टायर घर्षण सीमा

टायर घर्षण सीमाएँ	सी1 टायर
सामान्य टायर	*

* टायर घर्षण सीमा अलग से अधिसूचित की जाएगी

तालिका 9: सी1 टायरों के टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता

परीक्षण अपेक्षाएँ	टाईप-अनुमोदन के लिए परीक्षण और अपेक्षाएं	उत्पादन की अनुरूपता पर परीक्षण	सेवा में अनुरूपता पर परीक्षण
टायर घर्षण परीक्षण	*	*	*

* टाईप अप्रूवल सी1 टायरों के लिए परीक्षण प्रयोज्यता अपेक्षाओं को अलग से अधिसूचित किया जाएगा

तालिका 10: 1 अप्रैल 2035 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों के लिए ब्रेक जनित कण उत्सर्जन सीमा

	उत्सर्जन सीमा	श्रेणी एम1 के वाहन
	(1)	(2)
(1)	ब्रेक जनित कण उत्सर्जन (पीएम ₁₀)	3 मिलीग्राम/किमी प्रति वाहन
(2)	ब्रेक जनित कण संख्या उत्सर्जन (पीएन)	*

* कण संख्या (पीएन) के लिए ब्रेक जनित कण उत्सर्जन सीमा अलग से अधिसूचित की जाएगी

टिप्पणियाँ:

- वाहनों को इस प्रकार डिजाइन, निर्मित और एकत्रित किया जाएगा जिससे उनके जीवन-चक्र के सभी चरणों में उत्पन्न होने वाली भेद्यता को कम से कम किया जा सके, जो ईंधन और अभिकर्मक इंजेक्शन प्रणाली, इंजन और इंजन नियंत्रण इकाई, कर्षण बैटरी और संबंधित प्रबंधन प्रणालियों, ओडोमीटर, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, इलेक्ट्रिक मोटर और संबंधित नियंत्रण इकाइयों, ओबीएफसीएम उपकरणों, ओबीडी प्रणाली, ओबीएम प्रणाली और ईवीपी में अनधिकृत बदलाव का कारण बन सकती हैं।
- श्रेणी एम1 के वाहनों के निकास और वाष्पीकरण उत्सर्जन सीमाओं के अनुपालन का परीक्षण करने की प्रक्रिया, संदर्भ ईंधन और स्नेहक (निर्माता द्वारा जारी विनिर्देशों के भीतर) के साथ, निम्नानुसार होगी।

क. निकास उत्सर्जन परीक्षण वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट ड्यूटी टेस्ट प्रोसीजर (डब्ल्यूएलटीपी) चेसिस डायनेमोमीटर परीक्षण चक्र का उपयोग करके एआईएस-215-भाग 1 में तालिका 1 के अनुसार सीमा के साथ समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

ख. सड़क पर संचालित आरडीई परीक्षणों के लिए, परीक्षण प्रक्रिया तालिका 14 में निर्दिष्ट अनुरूपता कारकों के साथ 3-फेज डब्ल्यूएलटीपी चक्र के संबंध में किए गए उत्सर्जन मूल्यांकन सहित समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-भाग-1 के अनुसार होगी।

ग. वाष्पीकरण उत्सर्जन सीमा के अनुपालन के लिए परीक्षण प्रक्रिया 3-फेज डब्ल्यूएलटीपी चक्र सहित समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-भाग-1 के अनुसार होगी।

3. विनिर्माण और परीक्षण एजेंसी के लिए टाइप अनुमोदन, उत्पादन की अनुरूपता और सेवाकालीन अनुपालन के लिए परीक्षण आवश्यकताओं का अनुप्रयोग समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-भाग-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
4. जिन वाहनों में जियोफेंसिंग तकनीक से लैस आंतरिक दहन इंजन लगे हों, उन्हें निर्माता 'बीएस-वीआईआई-जी' श्रेणी के वाहनों के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। जियोफेंसिंग तकनीक के उपयोग को टाइप-अप्रूवल के दौरान मान्यता देने वाली एजेंसी को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और वाहन के जीवनकाल के दौरान एआईएस-215-भाग-1 में समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहिए।
5. उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) के उद्देश्य से मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एएसआई-137 भाग 6 के अनुसार होगी।

6. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) की आवृत्ति और नमूने निम्नानुसार होंगे: -

(i) प्रत्येक इंजन मॉडल और उसके वेरिएंट के लिए उत्पादन अवधि की अनुरूपता वर्ष में एक बार होगी।

(ii) जहां छह माह में उत्पादन मात्रा प्रति मॉडल 250 से कम है, जिसमें इसके वेरिएंट भी शामिल हैं, वहां एआईएस 215 पार्ट-6 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

7. तालिका 1 में उल्लिखित सीमाएं निम्नलिखित ईंधनों में से किसी भी ईंधन से चलने वाले वाहनों पर लागू होंगी:

- मोनोफ्यूल सीएनजी, बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी, डीजल (बी7), गैसोलीन ई20, इथेनॉल मोनोफ्यूल, हाइड्रोजन, मेथनॉल मोनोफ्यूल
- डीजल और सीएनजी, बायोगैस, बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन या एलएनजी में से किसी भी ईंधन से चलने वाले दोहरे ईंधन वाले इंजन।
- फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो ई20 से ई85/ई100, एम15 से एम85/एम100, इथेनॉल (ईडी95), 100% तक बायो-डीजल मिश्रण से चलते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का समय-समय पर संशोधित एआईएस-215 में निर्धारित दोनों ईंधनों पर परीक्षण किया जाएगा।
- पेट्रोल और सीएनजी/बायो-सीएनजी/बायो-मीथेन/बायो-गैस/एलएनजी/एलपीजी में से किसी अन्य ईंधन से चलने वाले द्वि-ईंधन इंजन। बाई फ्यूल वाहनों का समय-समय पर संशोधित एआईएस-215 में निर्धारित दोनों ईंधनों पर परीक्षण किया जाएगा।
- जब एक द्वि-ईंधन वाहन में फ्लेक्स ईंधन का विकल्प होता है, तो समय-समय पर संशोधित एआईएस - 215 में निर्धारित दोनों परीक्षण आवश्यकताएं लागू होती हैं।

उत्पादन की गुणवत्ता और अनुरूपता के लिए, परीक्षण ईंधन नीचे निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन या वाणिज्यिक ईंधन होगा।

8. रेफरेंस (संदर्भ) ईंधनों के लिए विशिष्टताएँ निम्न प्रकार होंगी: -

- क. संदर्भ प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस या बायो-मीथेन मोनो-फ्यूल या बाई-फ्यूल वाहनों में प्रयुक्त ईंधन, अनुलग्नक IV-एल (जी20) के अनुसार होगा।
- ख. एलपीजी मोनो-फ्यूल या बाई-फ्यूल वाहनों में प्रयुक्त संदर्भ एलपीजी ईंधन अनुलग्नक IV एम (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा। तथापि, सीएनजी/एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन उपलब्ध न होने की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित बीआईएस 15958:2012 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14861:2000 के अनुसार एलपीजी का उपयोग टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- ग. संदर्भ डीजल ईंधन (बी7) अनुलग्नक IV-टी में निर्दिष्टानुसार होगा।
- घ. संदर्भ ईंधन बायोगैस (बायो-मीथेन) आईएस 16087:2020 के अनुसार और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुरूप होगा।
- ङ. अनुलग्नक IV-डब्ल्यू में निर्दिष्ट 'बीएस-VII पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए हाइड्रोजन' ही संदर्भ ईंधन होगा।
- च. संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन संवर्धित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314:2019 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा।
- छ. संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथेनॉल) आईएस 17943: 2022 और बीआईएस द्वारा समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा।
- ज. संदर्भ ई85 ईंधन (गैसोलीन में 85 प्रतिशत इथेनॉल) अनुलग्नक IV-क्यू के अनुसार होगा। (मानक संख्या बीआईएस द्वारा बनाई और निर्दिष्ट की जाएगी)।
- झ. संदर्भ बी100 ईंधन अनुलग्नक IV-एस और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा। (मानक संख्या बीआईएस द्वारा बनाई और निर्दिष्ट की जाएगी)।
- ञ. यदि वाहनों में इथेनॉल (ई-100) का उपयोग एकल ईंधन/फ्लेक्स ईंधन के रूप में किया जाता है, तो टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर संशोधित आईएस 17821:2022 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इथेनॉल ईंधन का उपयोग किया जाएगा।
- ट. मेथनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए संदर्भ ईंधन विनिर्देश, जहां लागू हो, अनुलग्नक IV-वाई, अनुलग्नक IV-जेड, अनुलग्नक IV-जेडए और अनुलग्नक IV-जेडबी के अनुसार होंगे।

9. वाणिज्यिक ईंधनों के लिए विनिर्देश निम्नानुसार होंगे: -

- क. वाणिज्यिक गैसोलीन ईंधन अनुलग्नक IV-यू और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होगा।
- ख. वाणिज्यिक सीएनजी और वाणिज्यिक एलपीजी के लिए विनिर्देश क्रमशः बीआईएस 15958:2012 और बीआईएस 14861:2000 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।
- ग. वाणिज्यिक डीजल में प्रयुक्त बायोडीजल समय-समय पर संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होगा।
- घ. 7% तक बायो डीजल मिश्रण वाले वाणिज्यिक डीजल ईंधन के लिए विनिर्देश अनुलग्नक IV-बी और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।
- ङ. वाणिज्यिक ईंधन ई85 (गैसोलीन में 85 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण) के लिए विनिर्देश आईएस 16634:2017 और बीआईएस द्वारा समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा।

- च. वाणिज्यिक बायोगैस (बायो-मीथेन) के लिए विनिर्देश आईएस 16087:2013 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होंगे।
 - छ. वाणिज्यिक हाइड्रोजन संवर्धित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विनिर्देश आईएस 17314:2019 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।
 - ज. वाणिज्यिक इथेनॉल ईंधन ई20 (गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथेनॉल) के लिए विनिर्देश आईएस 17021: 2018 और समय-समय पर बीआईएस द्वारा संशोधन के अनुसार होंगे।
 - झ. वाणिज्यिक इथेनॉल मोनो-फ्यूल के लिए विनिर्देश आईएस 17821:2022 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार होंगे।
 - ञ. वाणिज्यिक हाइड्रोजन ईंधन के विनिर्देश बीआईएस द्वारा समय-समय पर संशोधित आईएस 16061: 2021 के अनुसार होंगे।
 - ट. मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले मेथनॉल के वाणिज्यिक ईंधन विनिर्देश समय-समय पर संशोधित आईएस 17075: 2019 के अनुसार होंगे।
 - ठ. एम15 ईंधन के लिए वाणिज्यिक ईंधन विनिर्देश आईएस 17076 : 2019 के अनुसार होंगे।
10. इंजन की शक्ति का मापन इंजन डायनेमोमीटर पर किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित एआईएस-215-पार्ट 5 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण किए जाने पर मापी गई शक्ति निर्दिष्ट शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए।
11. निष्क्रिय उत्सर्जन और कण संख्या संबंधी अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी: -
- क. इस उप-नियम में निर्दिष्ट पीआई ईंजन से सुसज्जित वाहन को निम्नलिखित सीमाओं का अनुपालन करना होगा।

तालिका 11: पीआई इंजनों के लिए खाली चलने (आइडल) पर उत्सर्जन सीमाएं

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	आइडल उत्सर्जन सीमाएं		उच्च आइडल उत्सर्जन सीमाएं	
		कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ%)	एचसी (एन-हेक्सेन समतुल्य) पीपीएम	(आरपीएम 2500+/- 200)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गैसोलीन के अलावा श्रेणी एन के पीआई इंजन	0.3	200	-	-
2	श्रेणी एन के गैसोलीन युक्त पीआई इंजन	0.3	200	0.2	1+/-0.03 या विनिर्माता की घोषणानुसार

- ख. संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजन और कण (पार्टिकुलेट) फिल्टर लगे वाहनों के मामले में, पार्टिकुलेट संख्या सांद्रता (#/से.मी.³ में) को आइडल अवस्था में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215 (भाग 8) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मापा जाएगा। मापी गई पार्टिकुलेट संख्या की सांद्रता 1.0×10^6 पार्टिकल्स/से.मी.³ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. क्षरण कारक निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार होगा:

तालिका 12क: निर्धारित क्षरण कारक

क्र.सं.	इंजन वर्ग	प्रदूषक						
		सीओ	टीएचसी	एनएमएचसी	एनओएक्स	एचसी+एनओएक्स	पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	कण संख्या (पीएन)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	धनात्मक प्रज्वलन	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
(2)	संपीडन प्रज्वलन	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 215 भाग-1 के अनुसार संपूर्ण वाहन या बेंच एजिंग स्थायित्व परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करके क्षरण कारकों को तैयार किया जाएगा।						

1.

1. वैकल्पिक रूप से, वाहन विनिर्माता पीआई वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 215 भाग-1 के अनुसार क्षरण कारक का मूल्यांकन करने के लिए 1,60,000 किमी का वाहन एजिंग परीक्षण या बेंच एजिंग स्थायित्व परीक्षण विकल्प का चयन कर सकता है।

2. यह परीक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 215 भाग-1 के अनुसार वाहन को परीक्षण ट्रैक पर, सड़क पर या चेसिस डायनेमोमीटर या इंजन टेस्ट बेंच पर चलाकर किया जा सकता है।

3. उपरोक्त आयु निर्धारण परीक्षण नियम 126 में निर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण एजेंसी द्वारा कराया जाना चाहिए।

13. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों की सेवा काल (इन सर्विस) अनुरूपता की जांच वाहन के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान की जाएगी। वाहनों के लिए जीवनकाल संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी।

तालिका 12ख: आजीवन आवश्यकताएं

	वाहनों, इंजनों और प्रतिस्थापन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का जीवनकाल	एम1
	(1)	(2)
(1)	प्राथमिक जीवनकाल	अधिकतम 160,000 किलोमीटर या 8 वर्ष, जो भी पहले हो।
(2)	अतिरिक्त जीवनकाल	प्राथमिक जीवनकाल समाप्त होने के बाद और 200,000 किलोमीटर या 10 वर्ष तक, जो भी पहले हो।
(3)	अतिरिक्त जीवनकाल के लिए स्थायित्व गुणक	1.2 गैसीय प्रदूषकों के लिए

14. टाइप अनुमोदन के दौरान आरडीई परीक्षण

क. 1 अप्रैल 2030 से लागू होने वाली टाइप अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए पोर्टेबल उत्सर्जन मापन प्रणाली (पीईएमएस) का उपयोग करके वास्तविक ड्राइविंग चक्र साइकिल उत्सर्जन मापन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215 भाग-1 में सभी मॉडलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

ख. टाइप अनुमोदन आरडीई परीक्षण के दौरान, अनुरूपता कारक (सीएफ) निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा, अर्थात्: -

तालिका 13: अनुरूपता कारक (सीएफ)

	प्रदूषक (1)	सीएफ प्रदूषक (2)
(1)	एनओएक्स	1.0
(2)	पीएन	1.0

(3)	सीओ (1)	-
-----	---------	---

(1) आरडीई परीक्षणों में सीओ उत्सर्जन को मापा और दर्ज किया जाएगा।

(2) सीएफ पर मार्जिन आवश्यकताएं एआईएस-215 भाग-1 में परिभाषित अनुसार होंगी।

15. क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम से क्रैंककेस की किसी भी गैस का वायुमंडल में उत्सर्जन नहीं होना चाहिए।

16. इस उप-खंड में निर्दिष्ट इंजन लगे वाहन, जो उत्सर्जन को कम करने के लिए अभिकर्मक (रीएजेंट) के उपयोग पर निर्भर करते हैं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215 भाग-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिकर्मक प्रणाली के सही संचालन को सुनिश्चित करेंगे। एनओएक्स न्यूनीकरण एजेंट एयूएस 32 (जलीय यूरिया विलयन) के विनिर्देश आईएसओ 22241-2006 के भाग 1 और भाग 2 या डीआईएन वी 70070 या आईएस:17042: भाग 1 और भाग 2: 2020 के अनुरूप होने चाहिए।

17. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एक ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम लगा होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत फॉल्ट कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र की पहचान करने और एआईएस-215-भाग 2 (समय-समय पर यथा संशोधित) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उस जानकारी को ऑफ-बोर्ड संचारित करने की क्षमता होनी चाहिए: -

तालिका 14: ओबीडी सीमाएं एम1 श्रेणी के बीएस-VII वाहनों के लिए

क्र.सं.			संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) (किलोग्राम)	कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान		गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन का द्रव्यमान		नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्रव्यमान			पार्टिकुलेट मैटर का द्रव्यमान	
				(सीओ) (मिलीग्राम/किमी)	(सीओ) (मिलीग्राम/किमी)	(एनएमएचसी) (मिलीग्राम/किमी)	(एनएमएचसी) (मिलीग्राम/किमी)	(एनओएक्स) (मिलीग्राम/किमी)	(एनओएक्स) (मिलीग्राम/किमी)	(एनओएक्स) (मिलीग्राम/किमी)	(पीएम) (मिलीग्राम/किमी)	(पीएम) (मिलीग्राम/किमी)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	श्रेणी	वर्ग		पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	
(2)	एम1	-	-	1900	1750	170	290	90	140	12	12	

पीआई: पॉजिटिव इग्निशन इंजन

सीआई: कम्प्रेसन इग्निशन इंजन

18. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओबीएम) लगा होना अनिवार्य है, जो एनओएक्स और पार्टिकुलेट मैटर के सभी उत्सर्जन की निगरानी और पंजीकरण करने में सक्षम हो और संबंधित उत्सर्जन सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक उत्सर्जन का पता लगा सके। 1 अप्रैल 2032 को या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएम डेटा ओबीडी पोर्ट पर उपलब्ध होना चाहिए। टाइप अनुमोदन के समय एआईएस-215-भाग 1 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ओबीएम का प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) किया जाना चाहिए।

19. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों में ऑन-बोर्ड ईंधन और विद्युत ऊर्जा खपत निगरानी प्रणाली (ओबीएफसीएम) लगी होनी चाहिए, जो वास्तविक ईंधन और विद्युत ऊर्जा खपत तथा अन्य प्रासंगिक मापदंडों की निगरानी करने

- में सक्षम हो, जिनकी आवश्यकता वास्तविक ईंधन और ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए होती है। 1 अप्रैल 2030 या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए ओबीएफसीएम-I डेटा ओबीएफसीएम पोर्ट पर उपलब्ध होगा। ओबीएफसीएम-II के लिए डेटा 1 अप्रैल 2032 से ओबीडी पोर्ट पर और अज्ञात रूप से ओवर द एयर उपलब्ध होगा। ओबीएफसीएम के कार्य क्षमता टाइप अनुमोदन के समय एआईएस-215-भाग 1 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
20. इस उप-नियम में निर्दिष्ट वाहनों के लिए, वाहन प्रयोक्ताओं को अनुरूपता प्रमाण पत्र और टाइप-अनुमोदन दस्तावेज़ के साथ एक पर्यावरण वाहन पासपोर्ट (ईवीपी) उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन प्रयोक्ताओं को ईंधन खपत, ट्रैक्शन बैटरी की स्थिति, प्रदूषक उत्सर्जन और ऑन-बोर्ड सिस्टम तथा मॉनिटर द्वारा उत्पन्न अन्य प्रासंगिक जानकारी तक भी पहुंच उपलब्ध होगी। ईवीपी को वाहन में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाएगी।
21. ब्रेक पार्टिकल उत्सर्जन सीमा के अनुपालन के परीक्षण की प्रक्रिया, ब्रेक उत्सर्जन संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 4 के अनुसार होगी।
22. टायर घर्षण सीमा के अनुपालन के परीक्षण की प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 7 के अनुसार होगी।
23. बैटरी स्थायित्व के लिए न्यूनतम कार्य निष्पादन अपेक्षाओं (एमपीआर) की आवश्यकताएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 9 के अनुसार होंगी।
24. सीएनजी या बायो-सीएनजी या एचसीएनजी वाहन समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
25. हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले आईसी इंजन वाले वाहनों को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 195 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
26. वाहन विनिर्माता द्वारा 20% से अधिक इथेनॉल ईंधन के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता (एडेप्टेबिलिटी) को परिभाषित किया जाएगा और इसे समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले लेबल द्वारा वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
27. अनधिकृत बदलाव करने से रोकने और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-215-भाग 1 के अनुसार होंगी।
28. साइबर सुरक्षा और ओवर द एयर (ओटीए) सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं सीएमवीआर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

[फा. सं. आरटी-11036/26/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026.

G.S.R. 880(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles Amendment) Rules, 2026.

2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 01st October 2026.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as the principal rules), in rule 115, after sub-rule (22), a new sub-rule shall be inserted, namely;

23(i)A The emission standards for Bharat Stage VII (BS-VII) for category M1 vehicles.

TABLE 1: Bharat Stage VII (BS-VII) Emission Standards for category M1 vehicles manufactured on or after 1st April 2029 for all models

1. April 2025 for all models																	
	Category	Class	Mass in running order (MRO) (kg)	Mass of carbon monoxide - (CO)		Mass of total hydrocarbons - (THC)		Mass of nonmethane hydrocarbons (NMHC)		Mass of oxides of nitrogen - (NOx)		Combined mass of total hydrocarbons and oxides of nitrogen (THC + NOx)		Mass of particulate matter (PM)		Number of particles (PN10)	
				L ₁ (mg/km)		L ₂ (mg/km)		L ₃ (mg/km)		L ₄ (mg/km)		L ₂ + L ₄ (mg/km)		L ₅ (mg/km)		L ₆ (#/km)	
				PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	M1	-		1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹

PI = Positive Ignition, CI = Compression Ignition

For vehicles of category N2 between 3.5 and 5.0 tonnes maximum mass, originating from a type of vehicle of category N1, the approval authority may grant an emission type-approval if the N2 vehicle meets the emission requirements for a type of vehicle of category N1. Such N2 vehicles will be required to meet COP/ISC/IUPR requirements under this rule.

Table 2: Test Applicability Dates

Applicability date	Application of test requirements during TA, COP and ISC					brake particle emission limits	Minimum performance requirements (MPR) for battery durability	Tyre emission limit
	Gaseous pollutants and PN in road testing	Gaseous pollutants, PM, PN and CO ₂ emissions, fuel consumption (WLTP)	OBD+OBM+OBFCM	EVP				
1 st April 2029 (Phase-I)	✓	✓	✓ OBD+ OBM-I (On OBD port only) +OBFCM-I (On OBD port only)	✓	--	--	✓	--
1 st April 2031 (Phase-II)	✓	✓	✓ OBM-II (over the air) +OBFCM-II (over the air)	✓	✓ PM and PN limit based on power train	✓	✓	✓
1 st April 2035 (Phase-III)	✓	✓	✓	✓	✓ PM and PN limit single limit for all power train	✓	✓	✓

TA-Type Approval; **COP**-Conformity of Production; **ISC**- In-Service Conformity; **OBD**-On-Board Diagnostics; **OBM**-On-Board Monitoring; **OBFCM**- On-Board Fuel Consumption Monitoring; **EVP**- Environment Vehicle Passport; **WLTP**-Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure

TABLE 3A: Application of test requirements and declarations for Type-Approval and extension to Type-Approval for vehicles of category M1 for BS-VII

	Test requirements	Tests and requirements for emission type-approval	Tests at conformity of production	Tests at in-service conformity
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Gaseous pollutants and PN in road testing (RDE)	Required demonstration test for all fuels for which the type-approval is to be granted and declaration of compliance for all fuels, all pay- loads and all applicable vehicle types	Not required	Required
(2)	Gaseous pollutants, PM, PN, CO ₂ emissions, fuel consumption (OBFCM), electric energy consumption and electric range (battery durability) (WLTP)	Required test for all fuels for which the type- approval is to be granted	Required for exhaust emissions and OBFCM	Required for exhaust emissions and OBFCM and SOH Monitors for battery durability
(3)	Crankcase emissions	Required Declaration that a closed crankcase system or routing to the tailpipe is installed*	Required Optional*	Not required
(4)	Evaporative emissions test	Required	Required (Leak, Purge, Vent)	Required
(5)	Durability of emission control systems	Required	Not required	Required Not Required
(6)	Operation of systems using a consumable reagent and pollution control systems	Required	Not required	Required Not Required
(7)	Battery durability	Declaration	Not required	Required
(8)	On-board diagnostics	Demonstration	Not required	Not required
(9)	On-board monitoring	Declaration and Demonstration	Not required	Required
(10)	Power determination	Required	Not required	Not required
(11)	Anti-tampering, security and cyber- security	Declaration and documentation	Not required	Not required
(12)	Geofencing technologies (where applicable)	Declaration and demonstration	Not required	Not required

*The test agency may require a test to be performed.

Declaration, documentation and demonstration requirements shall be detailed in the applicable AIS-215 as amended from time to time

Table 3B: Applicability of Test Requirements for Type-Approval – BS VII

		Vehicles with positive ignition engines including hybrids										Vehicles with compression ignition engines including hybrids			Pure electric vehicles	Hydrogen fuel cell vehicles	
		Mono fuel						Bi-fuel ¹			Flex-fuel ¹	Mono fuel		Dual Fuel	Flex Fuel		
	Reference fuel	Gasoline (E 20)/(M15)]	Ethanol E100/ Methanol M100	LPG	CNG/Biomethane/ Biogas/LNG	Hydrogen (ICE)	HCNG (Hydrogen + CNG)	Gasoline (E 20)/(E100)	Gasoline (E 20)/(E100)	Gasoline (E 20)/(E100)	Ethanol (E20 to E85/E100)	Diesel [(B7)/(B100)]	Gasoline [(E 20)/(E100)]	Diesel +CNG	Biodiesel above (B7) to (B100) ⁵	—	Hydrogen (Fuel Cell)
								LPG	CNG/ Biomethane	Hydrogen (ICE) ⁽²⁾	OR Methanol (M15 to M85/M100)						

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	Gaseous Pollutants (Type I Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ²	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes ² (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	—	—
(2)	Particulate Mass and Particulate Number (Type I Test)	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	—	—
(3)	Idle Emissions (Type II Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	—	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (Gasoline Only)	Yes (both fuels)	—	Yes	—	—	—	—
(4)	Crankcase Emissions (Type III Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	—	Yes	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (E20 Only OR M15 only)	—	Yes	—	—	—	—
(5)	Evaporative emissions (Type IV test)	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (E20 Only OR M15 only)	—	Yes	—	—	—	—
(6)	Durability (Type V test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (E20 Only OR M15 only)	Yes	Yes	Yes	Yes (B7 Only)	—	—
(7)	In-service conformity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (Gasoline Only)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	—	—
(8)	On-Board Diagnostics and IUPRM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ²	Yes	Yes	Yes	Yes ²	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	—	—
(9)	CO ₂ emissions, fuel consumption, electric energy consumption and electric range	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ³	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes ³ (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes	Yes ⁴
(10)	Smoke Opacity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yes	—	Yes	Yes	—	—
(11)	Engine power	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes	Yes
(12)	RDE gaseous emissions test applicability	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ²	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	—	—
(13)	RDE PN emissions test applicability	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (Gasoline Only)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	—	—
(14)	OBM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	—	—
(15)	OBFCM	Yes	Yes	—	—	—	—	—	—	—	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes	—
(16)	Fuel consumption OR Electric range with AC on. ⁵	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ³	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes ³ (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes	Yes
(17)	In-vehicle battery durability (as per AIS 225)	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes ⁶	Yes	—
(18)	System power determination	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	Yes ⁷	—

1) When a bi-fuel vehicle has flex fuel option, both test requirements are applicable. Vehicle tested with E100 need not to be tested for E85.

2) Only NOx emissions shall be determined when the vehicle is running on Hydrogen.

3) Only fuel consumption shall be determined when the vehicle is running on hydrogen.

- 4) CO₂ emissions do not need to be measured.
 5) To be Tested as per the procedure laid down in AIS 213
 6) Applicable for OVC-HEVs only.
 7) Applicable for HEV and PEVs with multiple motors as per the procedure laid down in AIS 226

TABLE 4: BS-VII evaporative emission limits for vehicles of category M1 manufactured on or after 1st April 2029 for all models

Mass of evaporative emission (g/test)
1.5

Table 5A: BS-VII Minimum performance requirements (MPR) for battery durability for vehicles of category M1 manufactured on or after 1st April 2029 for all models

	Battery energy based MPR	Start of life to 5 years or 100 000 km whichever comes first	Vehicles more than 5 years or 100 000 km, and up to whichever comes first of 8 years or 160 000 km	Vehicles up to additional lifetime (**)
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	OVC-HEV	75 %	67 %	*
(2)	PEV	75 %	67 %	*

(*) Minimum performance requirements (MPR) for battery durability shall be notified separately

(**) as per TABLE 12B

Table 5B: BS-VII Minimum performance requirements (MPR) for battery durability for vehicles of category M1 manufactured on or after 1st April 2029 for all models

	Range based MPR	Start of life to 5 years or 100 000 km whichever comes first	Vehicles more than 5 years or 100 000 km, and up to whichever comes first of 8 years or 160 000 km	Vehicles up to additional lifetime (**)
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	OVC-HEV	*	*	*
(2)	PEV	*	*	*

(*) Minimum performance requirements (MPR) for battery durability shall be notified separately

(**) as per TABLE 12B

TABLE 6: Brake Particle Emission Limits for vehicles of category M1 category of vehicles by powertrain technology manufactured on or after 1st April 2031

Emission limits in mg/km per vehicle	Vehicles of category M1				
Powertrain technology	PEV	OVC-HEV	NOVC-HEV	FCV/FCHV	ICEV
Brake particle emissions (PM10)	3	7	7	7	7

=
=

PEV-Pure Electric Vehicle; **OVC-HEV**-Off-Vehicle Charging Hybrid Electric Vehicle; **NOVC-HEV**-Not Off-Vehicle Chargeable Hybrid Electric Vehicle; **FCV**-Fuel Cell Vehicle; **FCHV**- Fuel Cell Hybrid Vehicle; **ICEV**-Internal Combustion Engine Vehicle

TABLE 7: Applicability of test requirements for type-approval of brake systems

Test requirements	Tests and requirements for emission type-approval	Tests at conformity of production	Tests at in-service conformity
-------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------

Brake system emissions test in WLTP brake cycle	Required	Audit or optional testing	Not required
---	----------	---------------------------	--------------

TABLE 8: Tyre abrasion limits for C1 Tyres for vehicle category M1 manufactured on or after 1st April 2031

Tyre abrasion limits	C1 tyres
Normal tyres	*

* Tyre abrasion Limits shall be notified separately

TABLE 9: Applicability of test requirements for type-approval of C1 Tyres

Test requirements	Tests and requirements for type-approval	Tests at conformity of production	Tests at in-service conformity
Tyre abrasion testing	*	*	*

* Test Applicability requirements for Type Approval C1 tyres shall be notified separately

TABLE 10: Brake Particle Emission Limits for vehicles of category M1 category of vehicles manufactured on or after 1st April 2035

	Emission limits	Vehicles of categories M ₁
	(1)	(2)
(1)	Brake particle emissions (PM ₁₀)	3 mg/km per vehicle
(2)	Brake particle number emissions (PN)	*

* Brake Particle Emission Limits for Particle Number (PN) shall be notified separately

NOTES:

- The vehicles shall be designed, constructed and assembled in such a way as to minimise vulnerabilities, arising in all phases of their life-cycle, that may lead to tampering with Fuel & reagent injection system, engine & engine control unit, traction batteries & related management systems, Odometer, pollution control devices, electric motor & related control units, OBFCM devices, OBD system, OBM systems and EVP.
- Test procedure for testing compliance of vehicles of category M1 with exhaust and evaporative emission limits with reference fuels and lubricant (within the specifications issued by the manufacturer) shall be as under
 - Exhaust emission tests shall be conducted using the Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) chassis dynamometer test cycle as per AIS-215 Part-1 as amended from time to time with limits as per Table 1.
 - For RDE tests conducted on the road, the test procedure shall be as per AIS-215 PART-1 as amended from time to time, with emissions evaluation fulfilled with respect to the 3-phase WLTP cycle with Conformity Factors as specified in Table 14.
 - Test procedure for testing compliance with evaporative emission limits shall be according to AIS-215 PART-1 as amended from time to time, with the 3-phase WLTP cycle.
- Application of Test requirements for Type Approval, Conformity of Production and In-Service Compliance for the manufacturer and Test Agency shall be as per the procedure laid down in AIS-215 PART-1 as amended from time to time.
- Manufacturers may get approval of the vehicles as 'BS-VII-G' vehicles where those vehicles are equipped with internal combustion engines with Geofencing Technologies. The application of such Geofencing technologies shall be demonstrated to the approval agency during type-approval and verified during lifetime of the vehicle as per the procedure laid down in AIS-215 PART-1 as amended from time to time.
- There shall be no relaxation of emission norms for Conformity of Production (CoP) purpose and procedure for compliance shall be as per ASI-137 Part 6 as amended from time to time.

6. Conformity of Production (CoP) frequency and samples as under: -
 - a. The conformity of Production period for each engine model including its variants shall be once a year.
 - b. Where production volume in six months is less than 250 per model including its variant(s), the provisions contained in AIS 215 Part-6 shall apply.
7. The limits as mentioned in table 1 shall be applicable for vehicles driven by any of the following fuels:
 - Monofuel CNG, Bio-CNG/Bio-Methane, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Gasoline E20, Ethanol monofuel, hydrogen, Methanol monofuel
 - Dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-Gas, Bio-CNG/Bio-Methane or LNG.
 - Flex fuel vehicles driven with E20 to E85/E100, M15 to M85/M100, Ethanol (ED95), Bio-diesel blends up to 100%. Flex fuel vehicles shall be tested on both fuels as laid down in AIS-215 as amended from time to time.
 - Bi-fuel engines driven by petrol and any other fuel out of CNG/Bio-CNG/Bio-Methane/Bio-Gas/LNG/LPG. Bi-fuel vehicles shall be tested on both fuels as laid down in AIS-215 as amended from time to time.
 - When a bi-fuel vehicle has flex fuel option, both test requirements are applicable as laid down in AIS-215 as amended from time to time.

For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel.

8. Specifications for Reference Fuels shall be as below: -
 - a. Reference natural gas, fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20)
 - b. Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV M (Fuel A and Fuel B). However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958:2012 and LPG as per BIS 14861:2000 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
 - c. The reference Diesel fuel (B7) shall be as specified in Annexure IV-T
 - d. The reference fuel Biogas (Bio-Methane) shall be as per IS 16087:2020 and as amended time to time.
 - e. Reference Fuel shall be 'Hydrogen for BS-VII Positive Ignition Engine' as specified in Annexure IV-W.
 - f. The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.
 - g. The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time by BIS.
 - h. The reference E85 fuel (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per the Annexure IV-Q." (Standard number will be created and specified by BIS).
 - i. The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time." (Standard number will be created and specified by BIS).
 - j. In case of vehicles powered by Ethanol (E100) as a mono-fuel/Flex-fuel, the commercially available ethanol fuel as per IS17821:2022 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type approval and Conformity of Production.
 - k. The Reference fuel specifications for Methanol powered vehicles shall be as per Annexure IV-Y, Annexure IV-Z, Annexure IV-ZA and Annexure IV-ZB as applicable.
9. Specifications for Commercial Fuels shall be as below: -
 - a. The Commercial Gasoline fuel shall be as per Annexure IV-U and as amended from time to time.
 - b. Specifications for commercial CNG and commercial LPG shall be in accordance with BIS 15958:2012 and as per BIS 14681:2000 respectively and as amended from time to time.
 - c. Biodiesel used in commercial Diesel shall be as per IS 15607 as amended from time to time.

- TABLE 11: Idle Emission Limits for PI Engines**

12. Deterioration Factor shall be as given in the following Table: -

Sl. No.	Engine Category	Pollutants						
		CO	THC	NMHC	NOx	HC+NOx	Particulate Matter (PM)	Particle Number (PN)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Positive Ignition	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
(2)	Compression Ignition	Deterioration Factors shall be established by using the whole vehicle or bench aging durability test procedures as per AIS 215 PART-1 as amended from time to time.						

1. Alternatively, for PI vehicles, the vehicle manufacturer may opt for a vehicle ageing test of 1,60,000 km or bench ageing durability test, for evaluating the Deterioration factor as per AIS 215 PART-1 and as amended from time to time.

2. This test may be performed by driving vehicle on a test track, on the road, or on a chassis dynamometer or Engine Test Bench as per AIS 215 PART-1 and as amended from time to time

3. The above ageing test should be carried out by the approved test agency specified in rule 126.

13. The vehicles specified in this sub-rule, the in-service conformity shall be checked for the lifetime of the vehicle. Lifetime requirement of the vehicles shall be as follows

TABLE 12B: LIFETIME REQUIREMENTS

	Lifetime of vehicles, engines and replacement pollution control devices	M ₁
	(1)	(2)
(1)	Main lifetime	Up to 160 000 km or 8 years, whichever comes first
(2)	Additional lifetime	After main lifetime and up to 200 000 km or 10 years, whichever comes first
(3)	Durability multiplier for additional lifetime	1.2 for gaseous pollutants

14. RDE testing during Type Approval

- During type approval applicable from **1st April 2030**, real world driving cycle emission measurement using Portable Emissions Measurement System (PEMS) shall be carried out for vehicles of category M1 as per the procedure laid down in AIS-215 PART-1 as amended from time to time for all models.
- During the type approval RDE test, the Conformity factor (CF), shall be as per the following table, namely: -

TABLE 13: Conformity Factor (CF)

	Pollutant (1)	CF _{pollutant} (2)
(1)	NO _x	1.0
(2)	PN	1.0
(3)	CO ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.

⁽²⁾ Margin requirements on CF shall be as defined in AIS-215 PART-1

15. Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases in to the atmosphere.

16. The vehicles specified in this sub-clause fitted with engine, which rely on the use of a reagent in order to reduce emissions, shall ensure the correct operation of reagent system, as procedure laid down in AIS-215 PART-1 as amended from time to time. Specifications of NO_x reduction agent AUS 32 (Aqueous Urea Solution) shall conform to Part 1 and Part 2 of ISO 22241-2006 or DIN V 70070 or IS:17042: Part1 and Part 2: 2020.

17. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Diagnostic system, for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of the malfunctions by means of fault codes stored in computer memory and communicating that information off-board, as per procedure described in AIS-215-PART 2 (as amended from time to time): -

TABLE 14: OBD thresholds for BS-VII vehicles of M1 Category

Sr.			Reference mass (RM) (kg)	Mass of carbon monoxide (CO) (mg/km)		Mass of non-methane hydrocarbons (NMHC) (mg/km)		Mass of oxides of nitrogen (NO _x) (mg/km)		Mass of particulate matter (PM) (mg/km)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	Category	Class		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI
(2)	M1	-	-	1900	1750	170	290	90	140	12	12

PI: Positive Ignition Engines

CI: Compression Ignition Engines

18. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Monitoring system (OBM), capable of monitoring and registering all exhaust emissions of NO_x and PM and detecting exceedances of at least 2.5 times the relevant exhaust emission limit. The OBM data shall be available on OBD port for vehicle manufactured on or after **1st April 2032**. Demonstration of OBM shall be done at the time of Type approval as per procedure laid down in AIS-215-PART 1 (as amended from time to time).

19. The vehicles specified in this sub-rule shall be equipped with an On-Board Fuel and electric energy Consumption Monitoring (OBFCM), capable of monitoring their real-world fuel and electric energy consumption and other relevant parameters, which are needed to determine their real-world fuel and energy efficiency. The OBFCM-I data shall be available on OBFCM port for vehicle manufactured on or after **1st April 2030**. For OBFCM-II, data shall be available on OBD port and anonymously over the air **1st April 2032**. Demonstration of OBFCM shall be done at the time of Type approval as per procedure laid down in AIS-215-PART 1 (as amended from time to time).

20. For the vehicles specified in this sub-rule an Environmental Vehicle Passport (EVP) shall be made available to vehicle users along with certificate of conformity and the type-approval documentation. Vehicle users shall also have access to up-to-date information about fuel consumption, the state of health of traction batteries, pollutant emissions and other relevant information generated by on-board systems and monitors. Provisions shall be made for in- vehicle display of EVP.

21. Test procedure for testing compliance with brake particle emission limits shall be according to the AIS-215-PART 4 on brake emissions as amended from time to time.

22. Test procedure for testing compliance with Tyre abrasion limits shall be according to the AIS-215-PART 7 as amended from time to time.

23. Requirements for Minimum Performance Requirements (MPR) for Battery Durability shall be as per AIS-215-PART 9 as amended from time to time.

24. The CNG or Bio-CNG or HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable and as amended from time to time.

25. IC engine Vehicles fuelled with Hydrogen fuel, shall meet the safety requirements as per AIS 195 as amended from time to time.

26. The compatibility of vehicle to the level of Ethanol Fuel more than 20% shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by a clearly visible label as per AIS-171:2021 as amended from time to time.

27. Anti-tampering and security requirements shall be as per AIS-215 PART-1 as amended from time to time.

28. Cyber security and Over The Air (OTA) security requirements shall be as notified by CMVR from time to time.

[F. No. RT-11036/26/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number Dated.....